

I/479595/2024

संख्या-121/81-2-2024-800(283)/2023

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/

नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 जनवरी 2024

विषय- जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी०एम०जी०एस०वाई० द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या- यू०पी० 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/117639/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1758/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/117639/2021 दिनांक 16.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्या प्रस्ताव का पूर्ण परीक्षण कर लिया गया है ? 34 वृक्षों का पातन किया जाना अनिवार्य है। प्रकरण का तथ्यात्मक परीक्षण करते हुए युक्तिसंगत प्रस्ताव प्रस्तुत शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by दिनेश

कुमार सिंह

Date: 24-01-2024 18:43:16

Reason: Approved (दिनेश कुमार सिंह)

अनु सचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 1964 / 11-सी- FP/UP/Road/117639/2021, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 29, 2024

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना/आख्या आज ही ऑनलाइन अपलोड कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना/आख्या आज ही ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।